सत्यमेव जयते

सिविल सेवा दिवस - 2017

Civil Services Day - 2017

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

Making NEW INDIA

Department of Administrative Reforms & Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of india

सिविल सेवा दिवस - 2017

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

Civil Services Day - 2017

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

विषय-सूची

प्राथमिकता कार्यक्रमों में पुरस्कार			पृ.सं.
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		1
	समूह	जिला/कार्यान्वयन एकक	
(क)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	सियाहा (मिज़ोरम)	3
(ख)	अन्य राज्य	बनासकांठा (गुजरात)	5
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना		7
(क)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	शिवसागर, (असम)	8
(ख)	अन्य राज्य	नालन्दा (बिहार)	10
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना		13
(क)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	गोमती (त्रिपुरा)	14
(ख)	अन्य राज्य	जालना (महाराष्ट्र)	16
4	स्टैण्ड अप इण्डिया/स्टार्ट अप इण्डिया		18
(क)	संघ राज्य क्षेत्र	उत्तर व मध्य अण्डमान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (स्टैण्ड अप इण्डिया)	19
(ख)	अन्य राज्य	गुजरात (स्टार्ट अप इण्डिया)	21
5	ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-एनएएम)		23
(क)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	मण्डीः सोलन, जिला–सोलन (हिमाचल प्रदेश)	24
(ख)	अन्य राज्य	मण्डीः निज़ामाबाद, जिला–निज़ामाबाद (तेलंगाना)	26
6	नवाचार में पुरस्कार		28
क्र.सं.	पहल का नाम	संगठन	
(क)	नकदी रहित गांव पलनार	जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़	29
(ख)	सौर ऊर्जा लैंप परियोजना (एसओयूएल)	जिला प्रशासन, डूंगरपुर, राजस्थान	31

Contents

Awards in the Priority Programmes			Page No.
1	**Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana**		**1**
	Group	**District / Implementing Unit**	
(a)	NE & Hill States	Siaha (Mizoram)	3
(b)	Other States	Banaskantha (Gujarat)	5
2	**Deen Dayal Upadhayay Gram Jyoti Yojana**		**7**
(a)	NE & Hill States	Sivasagar (Assam)	8
(b)	Other States	Nalanda (Bihar)	10
3	**Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana**		**13**
(a)	NE & Hill States	Gomati (Tripura)	14
(b)	Other States	Jalna (Maharashtra)	16
4	**Stand Up India/Start Up India**		**18**
(a)	Union Territories	North & Middle Andaman, Andaman & Nicobar Islands (Stand Up India)	19
(b)	Other States	Gujarat (Start Up India)	21
5	**e-National Agriculture Market (e-NAM)**		**23**
(a)	NE & Hill States	Mandi: Solan, Dist. Solan (Himachal Pradesh)	24
(b)	Other States	Mandi: Nizamabad, Dist. Nizamabad (Telangana)	26
6	**Awards in Innovation**		**28**
Sl. No.	**Name of the Initiative**	**Organization**	
1.	Cashless Village Palnar	District Administration Dantewada, Chattisgarh	29
2.	Solar Urja Lamps Project (SoUL)	District Administration, Dungarpur, Rajasthan	31

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

Pradhan Mantri Krishi SinchayeeYojana

स्कीम का सार - पीएमकेएसवाई

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि उत्पादन तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग की परिकल्पना की गई है।

पीएमकेएसवाई के व्यापक उद्देश्य हैं:

- खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशों का सम्मिलन करना (जिला स्तर की तैयारी तथा यदि अपेक्षित हो तो उप जिला स्तरीय जल उपयोग योजनाएँ)
- खेत पर पानी की वास्तविक पहुँच बढ़ाना तथा आश्वासित सिंचाई (हर खेत को पानी) के अन्तर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार
- उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तथा पद्धतियों के माध्यम से पानी के बेहतर उपयोग के लिए जल–स्रोत से सिंचाई, वितरण और उसका कुशल उपयोग
- पानी की बर्बादी कम करने के लिए खेत पर पानी के कुशल उपयोग करने में सुधार और समय व सीमा – दोनों में उपलब्धता में वृद्धि
- परिशुद्धता अपनाना – सिंचाई व अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (हर बूँद में अधिक फसल) में वृद्धि
- जल भरावों का रिचार्ज बढ़ाना तथा धारणीय जल संरक्षण पद्धतियाँ आरम्भ करना
- मिट्टी व जल–संरक्षण, भू–जल में सुधार, पानी के बहाव को रोकने, आजीविका विकल्प उपलब्ध कराने तथा अन्य एनआरएम कार्य–कलापों की दिशा में वॉटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में समेकित विकास का सुनिश्चय
- जल–संग्रहण, जल–प्रबन्धन, किसानों की फसल से सुयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित कार्य–कलापों का संवर्धन
- पेरिअर्बन कृषि के लिए अषोधित नगरीय अपशिष्ट पानी के पुनः उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाना
- सिंचाई में वृहत्तर निजी निवेशकों को आकर्षित करना

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों को जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) तथा राज्य सिंचाई योजना से 'विकेन्द्रीकृत राज्य स्तरीय आयोजना और निष्पादन' की संरचना करना है। डीआईपी में ब्लॉक व जिला दो स्तरों पर तैयार किए जाने वाले तीन घटकों नामतः जल–स्रोत, वितरण नेटवर्क तथा जिले के जल–प्रयोग अनुप्रयोग को एकीकृत करते हुए जिले के मध्यम से दीर्घावधि तक की विकासात्मक योजनाओं की समग्र विकास का परिप्रेक्ष्य होगा।

Brief of the Scheme - PMKSY

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) envisions improved agriculture production and better utilization of resources to enhance income of farmers in the country.

The broad objectives of PMKSY are:

- Achieve convergence of investments in irrigation at the field level (preparation of district level and, if required, sub district level water use plans)
- Enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation (Har Khet Ko Pani)
- Integration of water source, distribution and its efficient use, to make best use of water through appropriate technologies and practices
- Improve on-farm water use efficiency to reduce wastage and increase availability both in duration and extent
- Enhance the adoption of precision – irrigation and other water saving technologies (More crop per drop)
- Enhance recharge of aquifers and introduce sustainable water conservation practices.
- Ensure the integrated development of rain-fed areas using the watershed approach towards soil and water conservation, regeneration of ground water, arresting run off, providing livelihood options and other NRM activities
- Promote extension activities relating to water harvesting, water management and crop alignment for farmers and grass root level field functionaries
- Explore the feasibility of reusing treated municipal waste water for periurban agriculture
- Attract greater private investments in irrigation

The Programme aims at a 'decentralized State level planning and execution' structure, in order to allow States to draw up a District Irrigation Plan (DIP) and a State Irrigation Plan (SIP). DIP will have holistic developmental perspective of the district outlining medium to long term developmental plans integrating three components namely, water sources, distribution network and water use application of the district to be prepared at two levels – the block and the district.

पुरस्कृत जिला - सियाहा, मिज़ोरम

समूह–1 (पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य)

पृष्ठभूमि

सियाहा जिला पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम में स्थित है। यह मिज़ोरम की तीन स्वायत्त जिला परिषदों में से एक मारा स्वायत्त जिला परिषद का मुख्यालय है।

अपनाया गया दृष्टिकोण

किसानों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 'सिंचाई योजना' पर एक विस्तृत दस्तावेज़ तैयार किया गया है। इस 'सिंचाई योजना' में डिस्ट्रिक्ट वॉटर प्रोफाइल, जल उपलब्धता, जल की आवश्यकता तथा सिंचाई की कार्यनीतिक कार्रवाई योजना सम्मिलित है। जिले के कुल 1.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का 0.86 लाख हेक्टेयर सम्भावित बागवानी क्षेत्र है।

जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के भाग के रूप में निम्नलिखित पहल शुरू की गई हैं :

- 75 वैयक्तिगत जलाशय, 2 रोक बांध, 2 जल भण्डार, 1 हल्दी पैक हाऊस, स्ट्रॉबेरी टैरेस, वर्षा जल संग्रहण संरचना आदि स्थापित किए गए
- सौर जल पम्पिंग प्रणाली लगाई गई, ग्रेविटेशनल पाइप लाइनें स्थापित की गईं और पर्कोलेशन टैंक निर्मित किए गए

Awarded District - Siaha, Mizoram

Group-1 (North East & Hill States)

Background

Siaha district is situated in the north-eastern state of Mizoram. It is the Headquarters of the Mara Autonomous District Council, one of the three autonomous district councils within Mizoram.

Approach Adopted

A detailed document on "Irrigation Plan" to provide irrigation facilities to the farmers has been prepared. The "Irrigation Plan" includes district water profile, water availability, water requirement and strategic action plan for irrigation. The potential horticulture area is 0.86 lakh hectares of the total area of 1.99 lakh hectares in the district.

As part of the implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana in the district, the following initiatives have been undertaken:

- 75 individual water tanks, 2 check dams, 2 water reservoir, a turmeric pack house, strawberry terrace, rainwater harvesting structure, etc. were set up.
- Solar water pumping system has been installed, gravitational pipelines were set up and percolation tank was constructed.

- कण्टूर ट्रेंचिंग भी निर्मित कराए गए क्योंकि मिट्टी के कटाव के नियंत्रण की यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है
- हल्दी के लिए एक प्रसंस्करण संयंत्र बनाया गया जिसमें सुखाने का अहाता, टुकड़े करने की मशीन, पुल्वेराइज़र, ग्राइण्डर और पैकिंग मशीन है
- पौध और उर्वरक आदि उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी गई। ग्रीन हाऊस निर्माण, ड्रिप सिंचाई की पाइप लाइनों के निर्माण, पलवार आवरण और जलाशयों की खुदाई की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं

अन्य स्कीमों के साथ सम्मिलन

- यह स्कीम एमजीएनआरईजीएस, सीमा क्षेत्र विकास कोष (बीएडीएफ) तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जैसी अन्य मौजूदा स्कीमों के सम्मिलन से कार्यान्वित की जा रही है

जागरुकता बढ़ाना

स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) तथा लाभार्थियों के लिए तिमाही में एक बार जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। वॉटरशेड समिति के सदस्यों और वॉटरशेड विकास दल के लिए वॉटरशेड संरक्षण में उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किसानों को इस पहल के अच्छे कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

स्व–सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं के लिए हल्दी के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण सुकर बनाया गया। किसानों के लिए भी टपका सिंचाई विधि व सिंचाई के साथ खाद के प्रयोग (फ़र्टिगेशन) का प्रशिक्षण सुकर बनाया गया।

प्रभाव

इस परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- 28 हेक्टेयर से सूक्ष्म–सिंचाई के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि के साथ सिंचाई की संभाव्यता 7,400 हेक्टयर तक बढ़ी
- जिले में 124 जल–संचय संरचनाएँ निर्मित की गईं
- टिसोपी में हल्दी की पैदावार और प्रसंस्करण से हल्दी को खेतों से खुदरा बाज़ार तक लाने में मदद मिली
- सियाता और नियोताला गांवों में स्ट्रॉबेरी की उपज होना वाणिज्यिक सफलता है
- लाभार्थियों के लिए मत्स्य जलाशयों के निर्माण से इस स्कीम में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया गया जिससे बाज़ार में मछली की पर्याप्त आपूर्ति हुई है

- Contour trenching was also constructed as it is one of the most important techniques to control soil erosion.
- A processing plant for turmeric has been created which has drying yard, slicer machine, pulveriser, grinder and packing machine.

Implementation

- Support in terms of providing saplings, fertilizers, etc. has been provided. Efforts have been undertaken towards greenhouse construction, construction of drip irrigation pipelines, use of mulch films, digging of water ponds.

Convergence with other Schemes

- The scheme is being implemented in convergence with other existing schemes like MGNREGS, Border Area Development Fund (BADF) and Backward Region Grant Fund (BRGF).

Awareness Generation

Awareness programmes have been conducted once a quarter for Self Help Groups (SHGs) and beneficiaries. Training programmes have been conducted for Watershed committee members and Watershed development team to upgrade their technical skills for watershed conservation. During the training programme, farmers are awarded for good implementation of the initiative.

Training on processing of turmeric was facilitated for women of SHGs. Also, training on drip irrigation and fertigation was facilitated for farmers.

Impact

The key outcomes of the initiative are highlighted below:

- Irrigation potential increased by 7,400 Ha, with increase in coverage under micro-irrigation by 28 Ha.
- 124 water harvesting structures were created in the district
- Turmeric cultivation and processing at Tisopi has helped in taking turmeric from field to retail market
- In Siata and Neotala villages strawberry cultivation is a commercial success
- Pisciculture promoted under the scheme by building fish ponds for beneficiaries has led to adequate fish supply in market

पुरस्कृत जिला - बनासकांठा, गुजरात

समूह–3 (अन्य राज्य)

पृष्ठभूमि

बनासकांठा जिले की जलवायु अधिकतर उपोष्णीय कटिबन्धीय प्रकार की रहती है। इस उत्तरी गुजरात के जिले में दो बड़ी नदियाँ – बनास और सरस्वती हैं। इस क्षेत्र में सिपु, बलराम, अर्जुनी और उमरदाशी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। जिले में 2 बड़े बांध – दांतीवाड़ा व सिपु तथा 1 मध्यम (मुक्तेश्वर) और 41 छोटे बांध हैं।

अपनाया गया दृष्टिकोण

जिले ने जल संरक्षण के लिए सभी कार्यक्रमों/कार्य–कलापों का सम्मिलन सुनिश्चित करने के लिए कृषि आकस्मिकता योजना व व्यापक जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) तैयार की है। घरेलू प्रयोग, फसल, सिंचाई, पशुधन और औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल की आवश्यकता की गणना पृथक रूप से की गई है। जिले की सिंचाई की विस्तृत वर्ष–वार कार्यनीतिक योजना विभाग–वार तैयार की गई और निधि निश्चित की गई है।

जल क्षति कम करने के लिए वर्षा के मौसम से इतर दिनों में पुरानी नहरों का नवीकरण, पुनरुद्धार और मरम्मत (आरआरआर) किया गया। किसानों और प्रयोक्ता समूहों/मण्डलियों से उनकी मांगों, पानी छोड़ने के समय और आवर्तियों आदि के निर्धारण के लिए नियमित सम्पर्क साधा गया। विस्तार नवाचार व आधुनिकीकरण (ईआरएम) तथा आरआरआर कार्य–कलापों के तहत एसएस विस्तार नहर, एसएसएन नहर, टैंकों को जोड़ने सहित विभिन्न नहरों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया।

लघु सिंचाई (एमआई) को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि यह लागत प्रभावी था और इसका अनुरक्षण सरलतम था। इस लघु सिंचाई (एमआई) को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन कम्पनी अर्थात् गुजरात हरित क्रान्ति लि. (गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड) गठित किया गया। लघु सिंचाई (एमआई) प्रणाली के माध्यम से जल क्षति कम की गई।

प्रशासन ने जल के मौजूदा संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के लिए नए जल–स्रोतों का सृजन, पारम्परिक जल स्रोतों (तलछट की सफाई व तालाब गहरा करना आदि) की क्षमता बढ़ाने, लिंक नहरों के निर्माण से वितरण नेटवर्क बढ़ाने, आर्द्रता संरक्षण संवर्धन, बहते पानी के नियंत्रण (रोक बांध, पुश्ता) आदि जैसे कार्यकलाप शुरू किए।

दूरस्थ स्थानों से जल स्रोत की निगरानी के लिए बांधों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। निगरानी व प्रसारण प्रणाली संस्थापित की गई। निगरानी प्रयोजन तथा एसएमएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के लिए सेटेलाइट इमेजिंग शुरू किए गए। टपका–सिंचाई भूमि की जियाफेंसिंग की गई। एमआईएस आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया के लिए अत्याधुनिक आईटी अनुप्रयोग, सीएमआईएमएस स्थापित किया गया है। किसान अपने आवेदनों का स्तर–वार तथा सरकारी सहायता के दावों के विवरणों का पता लगा सकते हैं। सब्सिडी वितरण की आवृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तंत्र स्थापित किया गया है।

अन्य स्कीमों के साथ सम्मिलन

खेत–तालाब की गहराई, भूमि विकास/समतल कार्य–कलापों में एमजीएनआरईजीएस के साथ सम्मिलन किया गया।

Awarded District - Banaskantha, Gujarat

Group-3 (Other States)

Background

Banaskantha district's climate is mostly sub-tropical monsoon type. This Northern Gujarat district has two major rivers – Banas and Saraswati. The major tributaries in the region are Sipu, Balaram,Arjuni, Umardashi. The district also has 2 Major dams, Dantiwada and Sipu, 1 Medium dam (Mukteshwar) and 41 minor dams.

Approach Adopted

The district has developed an Agriculture Contingency Plan and a comprehensive District Irrigation Plan (DIP) to ensure convergence of all programmes/ activities for water conservation. Requirement of water for domestic use, crop, irrigation, livestock, industrial purpose has been calculated separately. Detailed year-wise strategic action plan for irrigation of the district has been prepared department-wise and funds have been earmarked.

Renovation, Restoration and Repairing (RRR) of old canal structure during off season was done to minimize loss of water. Regular contact with farmers and user groups/ mandlis was established to assess their demands, time of release of water, frequency, etc. Under the Extension Renovation & Modernisation (ERM) and RRR activities, works of repairing of various canals including SS spreading canal, SSN canal, interlinking of tanks have been undertaken.

Micro Irrigation (MI) was given more thrust as it was cost effective and its maintenance was easier. A special purpose vehicle company viz. Gujarat Green Revolution Ltd. was formed to undertake this MI work on a large scale. Through MI system, loss of water is minimized.

To maximize use of existing resources of water, the administration undertook activities such as creating new water sources, enhancing potential of traditional water bodies (desilting, deepening of ponds etc.), augmenting distribution network by construction of link canals, promoting moisture conservation and controlling run off water (check dams, high bunds), etc.

CCTV cameras were fitted at dams to monitor water level from remote places. Surveillance and broadcasting system were installed. Satellite imaging for monitoring purpose and SMS based tracking system were introduced. Geo fencing of drip irrigation land was done. A state-of-the-art IT application, C-MIMS, has been put in place to process the MIS Application. Farmers can track stage-wise movement of their application and details of claimed Government assistance. Effective IT mechanism is in place to prevent duplication of subsidy disbursement.

Convergence with other Schemes

Convergence with MGNREGS in farm pond deepening, land development/ leveling activities was done.

जागरुकता बढ़ाना

टीवी, रेडियो, समाचारपत्रों तथा विज्ञापन, जैसे – श्रव्य–दृश्य व प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से संवर्धनात्मक कार्य–कलाप किए गए। किसानों ने वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, एग्रीटेक एशिया, कृषि महोत्सवों जैसी क्षेत्रीय/कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया। एमआईएस लाभार्थियों की सफलता की गाथाएँ अभिलेखित व संवर्धित की गईं। 'जल–जीवन' नामक द्विमासिक पत्रिका प्रकाशित की गई।

किसानों की क्षमता निर्माण के कार्य–कलापों के उद्देश्यों में एक्सपोज़र दौरे, कृषि मेले, शो, नाट, प्रदर्शनियाँ, जागरुकता अभियान, एनिमेशन फ़िल्म्स, सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन (पीआईएम) आदि शामिल हैं।

प्रभाव

इस परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- 58,177 हेक्टेयर की लघु सिंचाई के अन्तर्गत कवरेज की वृद्धि के साथ 534 हेक्टेयर तक सिंचाई की सम्भावना में वृद्धि
- स्कीम के अन्तर्गत 33 नई जल–संरचनाएँ सृजित की गईं
- संरचनाओं के आस–पास भू–जल स्तर में 20 फीट तक सुधार हुआ है
- सकल कृषि–क्षेत्र में वृद्धि : 65,000 हेक्टेयर जिसमें 2,500 हेक्टेयर अप्रयुक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया गया
- 3,00,000 टन उत्पादन में वृद्धि। गोचर भूमि में वृद्धि ने भी दुग्ध–उत्पादन के सुधार में सहायता की
- फसल पद्धति अनाज से मूंगफली/आलू/बागवानी फसलों में बदल रही है

Awareness Generation

Promotional activities were done through audio visual and print media such as TV, radio, newspapers and advertisements. Farmers actively participated in regional/ agricultural events like Vibrant Gujarat Summit, Agritech Asia, Krishi Mahotsavs. Success stories of MIS beneficiaries were documented and promoted. A bi-monthly magazine called "Jal Jivan" was published.

Activities aimed at capacity building of farmers included exposure visits, Krishi Melas, shows, dramas, exhibitions, awareness campaigns, animation films, Participatory Irrigation Management (PIM), etc.

Impact

The key outcomes of the initiative are highlighted below:

- Irrigation potential increased by 534 Ha, with increase in coverage under micro-irrigation by 58,177 Ha.
- 33 new water structures were created under the scheme
- The water table has improved by 20 ft. around the structures
- Increase in gross agricultural area: 65,000 Ha, including 2,500 Ha of unused land which was brought under agriculture
- Increased production of 3,00,000 tones. Increased area for fodder has also helped in improved milk production
- There has been a change in cropping pattern – Cereals to Groundnut / Potato/ Horticulture crops

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana

स्कीम का सार - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' का उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी गांवों के विद्युतीकरण के माध्यम से निरन्तर विद्युत उपलब्ध कराना, किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर सेपरेशन, अन्य उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति, सब–ट्रांसमिशन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर मीटर लगाने सहित वितरण संरचना सुधारना है।

डीडीयूजीजेवाई गुणवत्ता और आपूर्ति की विश्वसनीयता सुधारेगा तथा बिजली की क्षति कम करने के लिए मीटर लगाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को चौबीस घण्टे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने में भी सहायता मिलेगी।

पुरस्कृत जिला - शिवसागर, असम

समूह–1 (पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य)

पृष्ठभूमि

ऊपरी असम के शिवसागर नगर में 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार 145 बिजली रहित गांव तथा 47,803 बिजली रहित संस्वीकृत बीपीएल परिवार थे।

अपनाया गया दृष्टिकोण

इस जिले के अधिकतर गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों में पहले से ही बिजली की सुविधा थी। इसीलिए जिला प्रशासन ने बीपीएल परिवारों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया। बीपीएल लाभार्थियों, विद्युतीकरण हेतु प्राथमिकता क्षेत्रों तथा मार्गाधिकार से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु स्थानीय ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया।

असम में पांच महीने के वर्षा के मौसम पर विचार करते हुए त्वरित कार्यान्वयन के लिए नवाचारी पद्धतियाँ अपनाई गईं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण सामग्री पहुँचाने के लिए नाव, बैलगाड़ी आदि का उपयोग किया गया। वर्षा ऋतु के दौरान सामग्री का प्रापण तथा शुष्क मौसम के दौरान निर्माण कार्य किया गया। चोरी और स्राव से बिजली के नुकसान को कम करने के लिए इंसुलेटिड एरियल ब्रांच कण्डक्टर (एबीसी) का उपयोग किया गया। उपभोक्ताओं तथा विद्युत नेटवर्क में प्रदत्त बिजली को मापने के लिए स्थिर विद्युत मीटरों का उपयोग किया गया है। ट्रांसफ़ॉर्मर स्तर पर बिजली की संपरीक्षा और लेखा के लिए वितरण ट्रांसफ़ॉर्मरों (डीटी) पर ही पैमाइश की गई। बीपीएल लाभार्थियों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए।

Brief of the Scheme – Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana

Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) aims to provide continuous power to rural India through electrification of all villages, feeder separation to ensure sufficient power to farmers and regular supply to other consumers, improvement of sub-transmission and distribution infrastructure including metering at all levels in rural areas.

DDUGJY will improve the quality and reliability of the supply and metering to reduce the losses. This will also help in providing round the clock power to rural households and adequate power to agricultural consumers.

Awarded District - Sivasagar, Assam

Group-1 (NE & Hill States)

Background

Sivasagar, a town in upper Assam, had 145 un-electrified villages and 47,803 un-electrified sanctioned BPL households, as on 1st April 2015.

Approach Adopted

Most of the Above Poverty Line (APL) households were already electrified in the district, thus district administration was focused towards electrification of BPL households. Local Gram Panchayats were involved for identification of BPL beneficiaries, priority areas for electrification and settlement of disputes arising out of right of way.

Considering the rainy season lasts for five months in Assam, innovative methods were adopted for speedy implementation. Boats, bullock carts, etc. were used to carry construction materials in flood affected areas. Material was procured during rainy season and construction work was undertaken during dry season. In order to minimize loss of energy through theft and leakage, insulated Aerial Bunched Conductor (ABC) has been used. Static electronic meters have been used for measuring the power delivered to the consumers and network. Metering was done at Distribution Transformers (DT) for transformer level energy audit and accounting. LED bulbs were provided to BPL beneficiaries.

The project was monitored by Assam Power Distribution Company Limited (APDCL) on a day to day basis. Monthly review meetings were conducted with contractors and senior level functionaries of APDCL to review project progress.

शिकायत निवारण

ग्रामीणों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन – दोनों शिकायत निवारण प्रणालियाँ बनाई गई हैं। ऑनलाइन शिकायतें एपीडीसीएल वेबसाइट पर केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली तथा support@apdcl.org पर ई–मेल के ज़रिये दर्ज कराई जा सकती हैं।

त्वरित निपटान हेतु शिकयतें सीधे ही एजीएम (आई–एम) के समक्ष दर्ज कराई जा सकती हैं। क्षतिग्रस्त ट्रांसफ़ॉर्मर वारण्टी अवधि के दौरान ठेकेदारों द्वारा तथा वारण्टी की अवधि के समापन के पश्चात् एपीडीसीएल द्वारा बदलवाए जाते हैं। राजस्व सर्किल अधिकारियों के ज़रिये शिकायतें दर्ज कराने की व्यवस्था भी शुरू की गई।

उप–मंडल स्तर पर शिकायत बूथ उपलब्ध कराए गए तथा टेलीफोन से शिकायतें दर्ज कराने के लिए बिजली बिलों पर टेलीफोन नम्बरों का उल्लेख किया गया। बिजली आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक गांव में लाइनमैन तैनात किए गए हैं।

जागरुकता बढ़ाना

जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए स्थानीय मीडिया, क्षेत्रीय समाचार–पत्र, आधिकारिक कैलेण्डरों का उपयोग किया। जागरुकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर भी आयोजित किए गए। एपीएल उपभोक्ताओं के लिए जिला प्रशासन ने समय–समय पर सेवा कनेक्शन मेले आयोजित किए।

प्रभाव

अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2016 तक 135 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। सामान्य मौसम के दौरान एक दिन में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई गई। वारण्टी अवधि के बाद क्षतिग्रस्त ट्रांसफ़ॉर्मरों और ख़राब मीटरों को एपीडीसीएल द्वारा 7 दिन के अन्दर बदल दिया जाता है। विद्युतीकरण ने व्यावसायिक कार्य–कलापों को बढ़ावा दिया है जिससे छोटे व्यवसाय लम्बे समय तक चलते रहते हैं।

Grievance Redressal

Both online and offline complaint redressal systems have been made operational for the villagers. Online complaints can be made through APDCL website, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System and by email at support@apdcl.org.

The complaints can also be made directly to the AGM (RE-M) for speedy disposal. Damaged transformers are replaced by contractors during the warranty period and by APDCL after expiry of warranty period. A provision of lodging complaint was also made operational through Revenue Circle Officers.

Complaint booths have been made available at sub-divisional level and telephone numbers are mentioned on electricity bills for lodging complaints telephonically. Linemen have been deployed in each village to address problems related to power supply.

Awareness Generation

District administration used local media, regional newspaper, official calendar, etc. to advertise the programme. Awareness programs were also organized at Gram Panchayat level. For APL customers, service connection melas were organized by district administration from time to time.

Impact

135 villages were electrified between April 2015 and December 2016. Electricity has been made available for 24 hours a day, during normal season. After warranty period, damaged transformers and faulty meters are replaced by APDCL within 7 days. Electrification has given boost to commercial activities by allowing small businesses to operate for long hours.

पुरस्कृत जिला - नालन्दा, बिहार

समूह–3 (अन्य राज्य)

पृष्ठभूमि

बिहार के नालन्दा जिले में 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार 12 गांव तथा 3,14,701 संस्वीकृत बीपीएल परिवार बिजली सुविधा रहित थे।

अपनाया गया दृष्टिकोण

डिस्कॉम द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की मदद से जिले के हर घर का सर्वेक्षण कराया गया। प्रत्येक घर के साथ–साथ उनके जीआईएस लोकेशन में बिजली कनेक्शन की स्थिति के सर्वेक्षण आंकड़ों की रिकॉर्डिंग के लिए एक एण्ड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन विकसित किया गया। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन और परियोजना कार्य की दिन–प्रतिदिन मॉनीटरिंग के लिए परियोजना प्रबन्धन एजेंसी, लुईस बर्गर की तैनाती के साथ ही समर्पित अधिकारियों का दल गठित किया गया।

सरमेरा, बिंद, अस्थावां, हिलसा व करायपरसुराय जैसे बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड बरसात के मौसम से पहले विद्युतीकरण की प्राथमिकता के लिए लक्षित किए गए। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए परिवहन के ग़ैर–पारम्परिक साधन (जैसे नावें, हाथ ठेले आदि) अपनाए गए। मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) से सम्बद्ध मुद्दे स्थानीय परियोजना अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन की सक्रिय सहायता से समयबद्ध आधार पर सुलझा लिए गए।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय बहु नीति हस्तक्षेप शुरू किए गए :

स्थानीय पोल विनिर्माताओं को गुणवत्ता से समझौता किए बिना मानदंडों की अहर्ता में छूट दी गई ।

नवाचारी पद्धतियां

Awarded District - Nalanda, Bihar

Group-3 (Other States)

Background

Nalanda district of Bihar had 12 villages and 3,14,701 sanctioned BPL households, un-electrified, as on 1st April 2015.

Approach Adopted

Survey of each household of the district was done by the DISCOM with the help of Rural Development Department. An android based application was developed for recording survey data capturing status of electricity connection in each household as well as their GIS location. A dedicated team of officers was constituted at field level with deployment of Project Management Agency, Louis Berger for implementation and day to day monitoring of project work.

Flood affected blocks like Sarmera, Bind, Asthwan, Hilsa and Karaiparsura were targeted on priority before rainy season for electrification. Non-conventional modes of transport (such as boats, hand carts, etc.) were adopted for inaccessible areas. Issues related to Right of Way (RoW) were resolved on timely basis by Local Project Officers, along with active support of local administration.

Multiple local level policy interventions were undertaken for effective implementation.

Local pole manufacturers were given relaxation in qualifying criteria without compromising the quality.

Innovative Methods

- ठेकेदारों के लिए नई भुगतान नीति आरम्भ की गई जिससे शुरूआती 118 दिनों की अवधि से भुगतान चक्र में 15 दिन की कमी आई।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आईईसी) की सहमति से मानक बिलिंग दस्तावेज़ (एसबीडी) के सामूहिक दृष्टिकोण (क्लस्टर एप्रोच) पर प्रति गांव भुगतान जारी किया गया।

प्री–डिस्पेच इंस्पेक्शन (पीडीआई) के कारण होने वाले विलम्ब को टालने के लिए आरईसी के अनुमोदन से सामग्रियाँ तीन श्रेणियों नामतः क, ख और ग में वर्गीकृत की गईं। श्रेणी–क के लिए पीडीआई अनिवार्य थी (ट्रांसफ़ॉर्मर, मीटर), श्रेणी–ख (पोल आदि) के लिए पीडीआई नियत समय सीमा परिभाषित की गई तथा श्रेणी –ग (नट, बोल्ट, ढांचे) के लिए किसी पीडीआई की ज़रूरत नहीं थी। समय और मानव श्रम बचाने के लिए खंभे गाड़ने में ट्रेक्टर ड्रिलिंग मशीन काम में ली गई थी। यह पता लगाने के लिए कोई घर विद्युतीकृत होने से रह तो नहीं गया है, सभी बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण करने के लिए एण्ड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन का प्रयोग किया गया।

वे गांव जो डीडीयूजीजेवाई के तहत वित्तीय बाधाओं के कारण कवर होने से रह गए थे, उन्हें पिछड़ा अनुदान कोष (बीआरजीएफ) स्कीम के ज़रिये कवर किया गया। राज्य योजना तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) स्कीम के अन्तर्गत ख़राब व कम क्षमतावान ट्रांसफ़ॉर्मर बदले गए। बीपीएल, एपीएल तथा अन्य कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तर पर पर्याप्त अवसंरचना सृजित की गई। 6 नए पॉवर सिस्टम स्टेब्लाइज़र (पीएसएम) से 60 एमवीए तथा मौजूदा पीएसएस से 25 एमवीए की क्षमता बढ़ाई गई।

डिस्कॉम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक (एमडी), निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गुणवत्ता व प्रगति की जानकारी लेने तथा मार्गाधिकार आदि का समाधान करने के लिए सघन क्षेत्रीय दौरे किए। परियोजना प्रगति, माइलस्टोन, भुगतान व नीति मामलों आदि की समीक्षा के लिए एमडी/निदेशक स्तर पर स्थानीय परियोजना प्रभारी के साथ साप्ताहिक, अध्यक्ष के स्तर पर कार्यकारी एजेंसियों के एमडी और जिला–दलों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की गईं। परियोजना की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए एक परियोजना मॉनीटरिंग एप्लिकेशन डीसीएनआईएनई भी तैयार किया गया।

शिकायत निवारण

ब्रेकडाउन से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए एक 24X7 जिला ग्राहक सेवा केंद्र शुरू किया गया। शिकायतें डिस्कॉम की वेबसाइट www.sbpdcl.co.in से भी दर्ज कराई जा सकती हैं।

शिकायत निवारण

- A new payment policy was launched for contractors which reduced the payment cycle to 15 days from initial duration of 118 days
- Payment was released per village against the cluster approach of Standard Billing Document (SBD) with consent of Rural Electrification Corporation (REC).

To avoid delay incurred due to Pre-Dispatch Inspection (PDI) materials were classified with approval of REC into three categories namely A, B and C. PDI was mandated for Category A (transformers, meters), fixed time limit PDI defined for Category B (poles, etc.) and no PDI was required for Category C (nut, bolt, structures). To further save time and manpower, tractor drilling machine was used for pole erection. Android based application was used to conduct survey of all BPL households to find out if any household was left un-electrified.

Villages that were left uncovered under DDUGJY, due to fund constraints, were covered through Backward Regions Grant Fund (BRGF) scheme. Defective and lower capacity transformers were replaced under State Plan and Members of Parliament Local Area Development (MPLAD) scheme. Adequate infrastructure was created at village level for providing BPL, APL and other connections. Capacity of 60 MVA was added through six new Power System Stabilizer (PSS) and 25 MVA through existing PSS.

Extensive field visits were undertaken by the Chairman, Managing Director (MD), Director and other senior officers of DISCOM to gather first hand information on quality and progress, provide solution of RoW, etc. Weekly meetings were held at MD/Director level with local project in-charge and monthly meetings at Chairman level with the MDs of the executing agencies and the district teams to review project progress, milestones, payment and policy issues, etc. A project monitoring application DCNINE was also developed for monitoring progress and quality of the project.

Grievance Redressal

A 24x7 district customer care centre has been made operational for redressal of complaints related to breakdowns. Complaints can also be registered through DISCOM's website at www.sbpdcl.co.in.

Grievance Redressal

मीटर, ट्रांसफ़ॉर्मरों और अन्य ब्रेकडाउन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24X7 टॉल फ्री नम्बर भी शुरू किए गए हैं। मीटर बिलों व अन्य विवादों के निवारण के लिए उप–खण्ड स्तर पर मासिक शिविर आयोजित किए जाते हैं। उप–खण्ड व खण्ड स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस्फ़ार्मर (डीटी) व मीटर बदलने के लिए समर्पित एजेंसियाँ उपलब्ध हैं। स्पॉट बिलिंग सॉफ़्टवेयर के माध्यम से ख़राब मीटरों की पहचान तथा उन्हें बदलने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है। क्षेत्रीय अधिकारियों के सम्पर्क–विवरण समाचारपत्र में विज्ञापन तथा डिस्कॉम की वेबसाइट के ज़रिये उपलब्ध कराए जाते हैं।

जागरुकता बढ़ाना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए दीवारों पर लिखने, पोस्टर और समाचारपत्र में विज्ञापन जैसे अनेक जागरुकता अभियान चलाए गए। जिले में तकनीकी अधिकारियों की ब्लॉक स्तर के स्टाफ़ सहित स्थानीय प्रशासन वाली ब्लॉक स्तरीय समिति ने जागरुकता कार्यालय शुरू किए।

प्रभाव

अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2016 के बीच 12 गांवों और 98,189 संस्वीकृत बीपीएल परिवारों का विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 16–18 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 23–24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे की विशिष्ट समय–सीमा में जला हुआ डीटी बदला जाता है। विद्युतीकरण ने वॉटर पम्पिंग मोटरों, हार्वेस्टर्स आदि जैसे कृषि उपकरणों का प्रयोग भी बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप डीज़ल सब्सिडी के वितरण में कटौती हुई है। जिले में पर्यटकों के आवागमन और फ़्लोर मिल, बर्फ़ फ़ैक्ट्री, वेल्डिंग की दुकानों आदि जैसे नए लघु उद्योगों में बढ़ोत्तरी हुई है।

A 24x7 toll free number is also operationalized to register complaints regarding meter, transformers and other breakdowns. Monthly camps are organized at sub-division level for redressal of meter billing and other disputes. Dedicated agencies are available for replacement of Distribution Transformers (DT) and meters at sub-division and section level. Defective meters are identified through the spot billing software and suitable action for replacement is undertaken. Contact details of field officers are made available to public through newspaper advertisement and DISCOM's website.

Awareness Generation

Several awareness campaigns such as wall writing, posters and newspaper advertisement were used to impart awareness about free electric connections to BPL households under the programme. Block level committee having technical officers and local administration along with block level staff undertook awareness activities in the district.

Impact

12 villages and 98,189 sanctioned BPL households were electrified between April 2015 and December 2016. Electricity has been made available for 16-18 hours per day in rural areas and 23-24 hours per day in urban areas. A burnt DT is replaced within a specified time limit of 72 hours in rural areas and 24 hours in urban areas. Electrification has also increased use of agriculture equipment such as water pumping motors, harvesters, etc. resulting in reduced distribution of diesel subsidy. District has witnessed increased inflow of tourists and setting up of new small scale industries such as flour mill, ice factory, welding shops, etc.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

स्कीम का सार - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक फसल बीमा स्कीम है जिसमें देश के किसानों को कुशल बीमा सहायता की परिकल्पना की गई है।

पीएमएफबीवाई का उद्देश्यः

- आकस्मिक घटनाओं से हुई फसल की क्षति से ग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
- निरन्तर किसानी सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय के स्थिरीकरण
- किसानों को नवाचारी व आधुनिक कृषि सम्बन्धी पद्धतियों को अपनाने के लिए बढ़ावा देते हुए तथा
- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में धारणीय उत्पादन के लिए सहायता करना है

प्राथमिकता कार्यक्रम किसानों को उत्पादन के जोखिमों से बचाने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, फसल की विविधता तथा पैदावार और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना बढ़ाने में योगदान करता है।

पुरस्कृत जिला - गोमती, त्रिपुरा

समूह–1 (पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य)

पृष्ठभूमि

गोमती जिला मौसमी स्थितियों यथा कुछ निचले इलाकों में बाढ़ तथा कुछ ऊँचे इलाकों में जल के अभाव के प्रति अति संवेदनशील है। गोमती जिले के ग़ैर–ऋणी किसानों की संख्या लगभग 97% है तथा खरीफ़ और रबी – दोनों मौसमों की मुख्य फसल धान है। धान की फसल का नुकसान एक नियमित घटना नहीं है तथापि बाढ़ और सूखे के जोखिम के कारण किसानों के मन में भय बना रहता है।

अपनाया गया दृष्टिकोण

जिला प्रशासन ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम' और जन–धन खाते के ज़रिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों की जन भागीदारी पर विशेष ज़ोर दिया। जिला प्रशासन ने 'त्रिपुरा ग्रामीण जीविका मिशन' (टीआरएलएम) के कलस्टर समन्वय के ज़रिये ज़मीनी स्तर पर जागरुकता फैलाने के लिए स्व–सेवा समूह (एसएचजी) के महिला सदस्यों से सम्पर्क किया। इस स्कीम को मज़बूती प्रदान करने के भाग के तौर पर किसान क्लबों, सामान्य हित समूह (सीआईजी) और किसान हित समूह (एफआईजी) की सहभागिता कराई गई।

जागरुकता बढ़ाना

जिला प्रशासन द्वारा जागरुकता बढ़ाने के लिए किए गए कतिपय पहल का नीचे विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- ज़मीनी स्तर (ग्राम स्तर कार्यकर्ता–वीएलडब्ल्यू) से आरम्भ करके जिला मजिस्ट्रेट स्तर तक अधिकारियों/कर्मचारियों का एक पिरामिड बनाया गया। प्रथा के अनुसार, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाने हेतु प्रेरित करने तथा जागरुकता बढ़ाने के लिए अल्प अन्तरालों में किसानों के साथ नियमित चर्चाएँ आयोजित की गईं।

Brief of the Scheme: PMFBY

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a crop insurance scheme which envisages an efficient insurance support for farmers of the country.

PMFBY aims at supporting sustainable production in agriculture sector by

- Providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events
- Stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming
- Encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices
- Ensuring flow of credit to the agriculture sector

The priority programme contributes to food security, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector besides protecting farmers from production risks.

Awarded District - Gomati, Tripura

Group-1 (NE & Hill States)

Background

Gomati district is very vulnerable to weather conditions, being prone to floods in certain low lying areas and shortage of water in certain upper areas. The number of non-loanee farmers in the Gomati District is approximately 97% and the main crop for both seasons Kharif and Rabi is paddy. The cycle of certain loss of paddy crop is not a regular phenomenon, however the fear of same remains in farmers mind due to the risk of flood and drought.

Approach Adopted

District Administration laid emphasis on mass involvement of SC, ST beneficiaries through MG-NREGA work site and Jan Dhan Bank accounts. District administration reached out to female members of Self Help Groups (SHGs) to spread awareness to the grass root level though cluster coordination of Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) Scheme. The involvement of farmers club, Common Interest Groups (CIGs) and Farmer Interest Groups (FIGs) was done as a part of the implantation of the scheme.

Awareness Generation

Some of the initiatives taken by district administration to raise awareness are highlighted below:

- A pyramid of officials was established beginning from the grass root level (Village Level Worker - VLW) to DM level. As a practice, the village level workers organized regular discussions with farmers at short intervals to motivate and create awareness for adopting the PMFBY Scheme.

प्रचार अभियान और जागरूकता कार्यक्रम

- जागरुकता बढ़ाने के लिए विशेष विधियाँ, जैसे – जिला और राज्य पोर्टल तथा सचल वाहनों का उपयोग किया गया (एम–किसान पोर्टल)
- जिला प्रशासन द्वारा इस स्कीम के कवरेज को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों, बैंकरों तथा पीआरआई निकायों के साथ अनेक बैठकें की गईं
- जिले में अधिकतम पहुँच हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए प्रिण्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग
- प्रशासन ने व्यापक प्रचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) तथा वॉटरशेड समितियों (डब्ल्यूसी) का उपयोग किया

निगरानी

- जिला प्रशासन द्वारा 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा की गई। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' स्कीम की नियमित मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलएमसी का गठन किया गया जिसमें उप निदेशक, कृषि, गोमती जिला सदस्य–सचिव थे। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों, बैंकरों तथा पीआरआई निकायों के साथ विशेष बैठकें की गईं जिनमें बीमा प्रायोजन के लिए फसल–वार लक्ष्य निर्धारित किए गए। पंचायत और एडीसी गांव में इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए पाक्षिक आधार पर शिविर आयोजित किए जाते हैं।

प्रभाव

इस परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है–

- खरीफ़ 2016 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 182 किसानों का बीमा किया गया जिसमें 54% ग़ैर–ऋणी किसान हैं। कुल 21,257 हेक्टेयर फसली क्षेत्र में से बीमाकृत क्षेत्र का कुल कवरेज 76 हेक्टेयर है
- रबी 2016 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 3964 किसानों का बीमा किया गया जिसमें से 97% ग़ैर–ऋणी किसान हैं। कुल 18,782 हेक्टेयर फसली क्षेत्र में से बीमाकृत क्षेत्र का कुल कवरेज 622 हेक्टेयर है

Publicity Campaign & Awareness Programme

- Special modes such as district and state portal and mobile vans were used to generate awareness (m-Kisan portal).
- District administration organized several meetings with officials of Agriculture Department, Bankers and PRT bodies to increase the coverage of the scheme.
- Usage of Print & electronic media using in local language for maximum reach out in the District.
- Water User associations (WUA) and Watershed committees (WC) at the Gram panchayat level were used for mass publicity by the administration.

Monitoring

- The implementation of the PMFBY scheme was monitored and reviewed regularly by district administration. The DLMC, headed by the District Magistrate and Collector and the Deputy Director of Agriculture, Gomati district as the Member Secretary, was constituted for regular monitoring and implementation of the PMFBY schemes. Furthermore, special meeting with the Officials of Agriculture department, bankers and PRI bodies was held under the chairmanship of the DM & Collector wherein crop wise targets for sponsoring insurance was determined. On fortnight basis a camp is organized to evaluate the progress in implementation of the scheme in Panchayat and ADC Village.

Impact

The key outcomes of the project are highlighted below:

- For Kharif 2016, 182 farmers were insured under the scheme, of which 54% are non-loanee farmers. Total coverage of insured area is 76 Ha, out of total cropped area of 21,257 Ha.
- For Rabi 2016, 3964 farmers were insured under the scheme, of which 97% are non-loanee farmers. Total coverage of insured area is 622 Ha, out of total cropped area of 18,782 Ha.

पुरस्कृत जिला - जालना, महाराष्ट्र

समूह–3 (अन्य राज्य)

पृष्ठभूमि

जालना जिला मध्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 7.72 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 6.76 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है। इस जिले की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसमें जून से सितम्बर के मध्य दक्षिण–पश्चिम मानसून की भारी वर्षा होती है। इस जिले की वार्षिक औसत वर्षा 688.3 मि.मी. है। अनेक बार इस जिले को 440 मि.मी. से 450 मि.मी. तक न्यूनतम वर्षा के साथ सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अपनाया गया दृष्टिकोण

भारत सरकार और राज्यों के विभिन्न मौजूदा स्कीमों और प्रशिक्षणों के अन्तर्गत 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की सूचना का प्रसार किया गया। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के लिए जन–धन खातों का उपयोग किया गया। जून 2016 में फसल बीमा के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति वितरित की गई। क्षतिपूर्ति के समय पर वितरण की किसानों ने सराहना की तथा उन्हें खरीफ़ 2016 में फसल के लिए इनपुट्स की खरीद और व्यय में सहायता मिली। सभी स्टेक धारकों, जैसे – विभागों, बैंक अधिकारियों, किसान नेताओं तथा ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर किसानों के लिए प्रशिक्षण और संवाद बैठकें आयोजित की गईं। किसानों की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग़ैर–अधिकारी गणों, जैसे – सांसदों, जिले के संरक्षक मंत्री, विधायक, जिला परिषद सदस्यों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया।

प्रौद्योगिकी सक्षमता

सूचना के आसान प्रसार के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स (सीसीई) एप्प, किसान पोर्टल, सभी स्टेक होल्डरों के व्हॉट्सएप्प ग्रुप का उपयोग किया गया। निगरानी के प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति के वितरण का पता लगाने के लिए गूगल शीट का उपयोग किया गया।

Awarded District - Jalna, Maharashtra

Group-3 (Other States)

Background

Jalna district situated in central Maharashtra, occupies geographical area of 7.72 lakh Ha, of which 6.76 lakh Ha is cultivable area. Area of 1.24 lakh Ha is irrigated. The district has a sub-tropical climate, in which the bulk of rainfall is received from the southwest monsoon, between June to September. The average annual rainfall of the district is 688.3 mm rainfall. The district often experiences drought with rainfall recording as low as 400 mm to 450 mm.

Approach Adopted

Information on PMFBY was disseminated under different existing schemes and trainings of Government of India and States. Jan Dhan accounts were used for PMFBY. The compensation was disbursed to farmers, under crop insurance, in June-2016. This timely disbursement of compensation was much appreciated by farmers and helped them for procurement of inputs and expenses, for cultivation of crop in Kharif 2016. Trainings and interactive meetings were conducted for all stakeholders like departments, bank officers, farmer leaders and farmers at village, block and district level. In order to ensure greater participation of farmers non officials such as MP, Guardian Minister of the district, MLAs, Zila Parishad Members were involved in the training.

Technology Enablement

Crop Cutting Experiments (CCE) app, farmers portal, WhatsApp group of all stakeholders for easy dissemination of information were used. For monitoring Google sheets were used to track the disbursement of compensation.

निगरानी

जिला प्रशासन ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा की। इस स्कीम की नज़दीक से निगरानी के लिए साप्ताहिक जिला स्तरीय बैठकें तथा ब्लॉक और जिला स्तर पर बैंकरों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में कॉल सेण्टर का गठन किया गया। किसानों के मुद्दों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समितियाँ भी गठित की गईं।

जागरुकता बढ़ाना

इस स्कीम की बड़े पैमाने पर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' के दौरान नुक्कड़ नाटक, रथ यात्राएँ एवं प्रसार और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापक अभियान चलाया गया। किसानों के मुद्दे का निवारण करने तथा प्रत्यक्ष कार्य–कलापों, जैसे – प्रपत्र भरने और प्रस्तुत करने, प्रपत्रों आदि की कमी के मुद्दे के समाधान आदि के लिए हेल्प डेस्क गठित किए गए। व्यापक पहुँच और किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न कृषक संघों तथा एटीएमए द्वारा गठित समूहों तथा वॉटरशेड समितियों के साथ मिल कर कार्य किया।

प्रभाव

इस परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- खरीफ़, 2016 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 12,29,699 किसानों का बीमा किया गया जिनमें से 77% गैर–ऋणी किसान हैं। कुल फसली क्षेत्र 5,85,706 हेक्टेयर है जिनमें से बीमाकृत क्षेत्र 5,57,644 हेक्टेयर है।
- रबी, 2016 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 87,988 किसानों का बीमा किया गया जिनमें से 98% किसान ग़ैर–ऋणी हैं। कुल फसली क्षेत्र 2,17,000 हेक्टेयर में से बीमाकृत क्षेत्र 1,50,00 हेक्टेयर है।

Monitoring

The implementation of PMFBY scheme was monitored and reviewed regularly by district administration. Weekly district level meetings and meetings with bankers at block and district levels were held, to closely monitor the scheme. In order to address the grievances of farmers, call centre was set up at DM's office. Bankers district level and block level committees were also set up to address farmers' issues.

Awareness Generation

The scheme was widely campaigned by conducting street plays, RATH Yatras, publicity and awareness programs during 'Gram Uday se Bharat Uday Abhiyan' to ensure greater coverage. Help desk was set up to address the issues of farmers and help in hand holding activities such as filling and submission of forms, solve the issue of shortage of forms etc. To ensure greater penetration and involvement of farmers, district administration worked closely with various farmers' associations and groups formed by ATMA and watershed committees.

Impact

The key outcomes of the project are highlighted below:

- For Kharif 2016, 12,29,699 farmers were insured under the scheme, of which 77% are non-loanee farmers. Total coverage of insured area is 5,57,644 Ha, out of total cropped area of 5,85,706 Ha
- For Rabi 2016, 87,988 farmers were insured under the scheme, of which 98% are non-loanee farmers. Total coverage of insured area is 1,50,000 Ha, out of total cropped area of 2,17,000 Ha

स्टैण्ड अप इण्डिया/ स्टार्ट अप इण्डिया

Stand Up India / Start Up India

स्कीम का सार :

स्टैण्ड अप इण्डिया –

स्टैण्ड अप कार्यक्रम अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने, ऋण लेने तथा व्यापार की सफलता के लिए समय–समय पर ज़रूरी अन्य सहायता की चुनौतियों पर ध्यान देने पर आधारित है। अतः यह कार्यक्रम अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास करता है जो व्यवसाय करने के लिए सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराना निरन्तर सरल बनाता है। स्टैण्ड अप स्कीम का उद्देश्य हरित क्षेत्र उद्यम (ग्रीनफील्ड एण्टरप्राईज़) की स्थापना के लिए प्रति बैंक शाखा से ऋणधार के बिना कम से कम एक अ.जा. या अ.ज.जा. और एक महिला ऋण प्राप्तकर्ता को 10 लाख आईएनआर व 01 करोड़ आईएनआर बैंक ऋण प्राप्त करने को सरल बनाना है।

स्टार्ट अप इण्डिया –

भारत सरकार ने देश में अनुकूल परिवेश बढ़ाने और भारत को काम मांगने वालों की अपेक्षा काम–सर्जक राष्ट्र बनाने में सहायता करने का निश्चय किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस पर 'स्टार्ट अप इण्डिया' पहल घोषित की और उसके बाद 16 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में 'स्टार्ट अप इण्डिया कार्रवाई योजना' का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से सरकार का ध्येय स्टार्ट अप को नवाचार के अभिकल्पना के माध्यम से विकास करने तथा स्टार्ट अप आन्दोलन के प्रसार को गति देने के लिए सशक्त बनाना है। डीडीयूजीजेवाई गुणवत्ता और आपूर्ति की विश्वसनीयता सुधारेगा तथा बिजली की क्षति कम करने के लिए मीटर लगाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को चौबीस घण्टे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने में भी सहायता मिलेगी।

पुरस्कृत जिला उत्तर व मध्य अण्डमान (स्टैण्ड अप इण्डिया) - अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

समूह–2 (संघ राज्य क्षेत्र)

पृष्ठभूमि

उत्तर व मध्य अण्डमान जिला बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 जिलों में से एक है। जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की 8 शाखाएँ हैं।

जिले में 97% ग्रामीण आबादी है, जिसमें कोई भी अ.जा./अ.ज.जा. में वर्गीकृत नहीं है। इसीलिए संघ राज्य क्षेत्र अधिकाधिक महिलाओं को उद्यमशीलता की दिशा में बढ़ावा देते हुए यह कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

अपनाया गया दृष्टिकोण

जिले के बैंक उद्यमियों को ऋण–आवेदन भरने तथा उत्पाद, प्रक्रिया, बाज़ार और व्यवसाय की वैधता के विवरण शामिल करते हुए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में मदद करते हैं। बैंक प्रबन्धकों द्वारा स्थानीय व्यवसाय की आवश्यकताओं की पहचान की गई है।

Brief of the Scheme:

Stand Up India -

Stand up India programme is based on recognition of the challenges faced by Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and women entrepreneurs in setting up enterprises, obtaining loans and other support needed from time to time for succeeding in business. The programme therefore endeavors to create an eco-system which facilitates and continues to provide a supportive environment for doing business. The objective of the Stand-Up scheme is to facilitate bank loans between INR 10 LAKH and INR 1 Crore to at least one SC or ST borrower and at least one woman borrower per bank branch without collateral for setting up a greenfield enterprise.

Start Up India -

The Government of India decided to boost the Start up ecosystem in the country and help India become a nation of job creators rather than job seekers.

The Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, on the 69th Independence Day celebration of India, announced the 'Start Up India' initiative and subsequently, launched the Start Up India Acton Plan on January 16, 2016 in New Delhi. The Government through this initiative aims to empower Start Ups to grow through innovation and design and to accelerate spreading of the Start up movement.

Awarded District - North & MiddleAndaman (Stand Up India) Andaman & Nicobar Islands

Group-2 (UTs)

Background

North and Middle Andaman district is one of the 3 districts of Andaman and Nicobar Islands located in the Bay of Bengal. The district has 8 scheduled commercial bank branches.

The district has 97% rural population, none of which are classified under SC/ST. The UT is therefore promoting the programme by encouraging more women towards entrepreneurship.

Approach Adopted

Banks in the district help entrepreneurs in filling up of loan applications and in preparing project proposals covering details of product, process, market and viability of the business. Identification of local business needs has been done by the bank managers.

जागरुकता बढ़ाना

संघ राज्य क्षेत्र ने स्कीम संवर्धन के लिए रेडियो और दूरदर्शन जैसे जन–माध्यमों का सघन उपयोग किया है। जिला कार्यालय की सहायता से उद्यमिता के लिए 'स्टैण्ड अप इण्डिया' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए समस्त उत्तर–मध्य अण्डमान जिले में बेरोज़गार युवाओं को प्रेरित करने के लिए 20 जागरुकता शिविर आयोजित किए गए हैं। समुद्र तट समारोहों व मेलों में विशेष क्यॉस्क स्थापित किए गए हैं। महिला उद्यमियों को भी व्हॉट्सएप्प के ज़रिये जोड़ा जा रहा है। बैंक अधिकारियों द्वारा उपयुक्त ऋण–प्रस्ताव तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्यमियों को ऋण–परामर्श दिए गए हैं।

अन्य स्कीमों के साथ सम्मिलन

जिला कार्यालय सम्बन्धित वैयक्तिक/फर्म की वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्त के व्यापक पैमाने पर भारत सरकार व राज्य सरकार – दोनों की स्कीमों के सम्मिलन के विषय में जागरुकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

प्रभाव

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक की 2 शाखाओं ने महिला उद्यमियों को 5 ऋण संस्वीकृत किए हैं। इन उद्यमियों ने आगे 12 व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं।

Awareness Generation

UT has extensively used mass media such as radio and Doordarshan to promote the scheme. With the help of district office, 20 awareness camps have been conducted all over North & Middle Andaman District to motivate unemployed youth to avail financial assistance under Stand up India Programme for entrepreneurship. Special kiosks have been setup in beach festivals and melas. Women entrepreneurs are also being engaged through Whatsapp. Credit counseling has been provided by bank officials to entrepreneurs to facilitate them in developing credit worthy proposals.

Convergence with other Schemes

The district office is trying to generate awareness about convergence of both State Government and Government of India schemes to broaden the scale of finance to meet out the financial requirement of the concerned individual/firm.

Impact

Under the programme, 2 bank branches have sanctioned 5 loans to women entrepreneurs. These entrepreneurs have generated further employment opportunities for 12 persons.

पुरस्कृत राज्य - गुजरात (स्टार्ट अप इण्डिया)

समूह–3 (अन्य राज्य)

पृष्ठभूमि

गुजरात सरकार स्टार्ट अप को वित्तपोषण, परामर्श और परिरक्षण में बढ़ावा, उद्यमशीलता और सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रोत्साहन देती रही है।

गुजरात सरकार राज्य में स्टार्ट अप के लिए नवाचार, स्टार्ट अप और अनुकूल परिवेश के निर्माण के प्रोत्साहन की आवश्यकता स्वीकार करती है।

अपनाया गया दृष्टिकोण

औद्योगिक नीति, 2015 के अन्तर्गत स्टार्ट अप नवाचार के लिए सहायता की स्कीम।

गुजरात सरकार ने स्टार्टअप विकास चक्र के विभिन्न चरणों में मौजूदा अन्तर पाटने तथा स्टार्ट अप अनुकूल–परिवेश सृजित करने के अपने प्रयासों में जनवरी, 2015 में औद्योगिक नीति, 2015 के अन्तर्गत 'स्टार्ट अप/नवाचार के लिए सहायता स्कीम' आरंभ की।

स्टार्ट अप का प्रारम्भ

उद्यमिता विकास केन्द्र (सीईडी) 1979 में स्थापित किया गया था और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) वर्ष 1983 में उद्यमिता संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था। गुजरात उद्यम वित्त लिमिटेड (जीवीएफएल) वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था जो देश में एक अग्रणी पूंजी उद्यम है और जिसे गुजरात सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। नवाचार, परिरक्षण तथा उद्यमिता केन्द्र (सीआईआईई) भी आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया और यह देश का सबसे पुराना इन्क्यूबेटर है। गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय उद्यमिता तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईक्रिएट) भी है जो विश्वस्तरीय परिरक्षण केन्द्र है।

सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग

पंजीकरण, सरकारी स्कीमों, परामर्श आदि में ठोस और एंड टू एंड सहायता करने के लिए स्टार्ट अप के लिए एक समर्पित मोबाइल अनुप्रयोग और वेब पोर्टल अर्थात startupgujrat.in है।

स्टार्ट अप के लिए वित्त पोषण

अग्रणी संस्थानों अर्थात जीवीएफएल, गुजरात एंजिल इन्वेस्टर्स नेटवर्क, अहमदाबाद एंजिल इन्वेस्टर्स आदि द्वारा स्टार्ट अप को वित्त पोषण सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपयों की छात्र नवाचार निधि अभिनिर्धारित की गई है। गुजरात सरकार में जीवीएफएल के साथ स्टार्ट अप अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपयों का 'जीवीएफएल स्टार्ट अप कोष' स्थापित किया है।

Awarded State - Gujarat (Start Up India)

Group-3 (Other States)

Background

Government of Gujarat has been promoting Start Ups by encouraging entrepreneurship and providing support in funding, mentoring and incubation.

The Government of Gujarat recognizes the need for promoting innovation, Start Ups and creating an ecosystem for Start Ups in the State.

Approach Adopted

Scheme for Assistance for Start Ups/ Innovation under the Industrial Policy 2015

Government of Gujarat in its efforts to bridge the existing gaps at various stages of Start Up development cycle and to create a conducive Start Up eco-system, introduced the "Scheme for Assistance for Start Ups/ Innovation under the Industrial Policy 2015 in January 2015

Genesis of Start Ups

Centre for Entrepreneurship Development (CED) was established in 1979 and Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) was setup in 1983 to promote entrepreneurship. Gujarat Venture Finance Limited (GVFL) was founded in 1990, which is a pioneer venture capital in the country and is supported by the Government of Gujarat. Also, Centre for Innovation Incubation and Entrepreneurship (CIIE) was established by IIM Ahmedabad in 2002 and is the oldest Incubator in the country. Gujarat also has the International Centre for Entrepreneurship and Technology (icreate), which is a world-class incubation center.

Simplification and handholding

A dedicated mobile application and web-portal for Start Ups, i.e. startupgujarat.in, for handholding and end-to-end support in registration, Government schemes, mentorship etc.

Funding to Start Ups

Funding assistance is provided to startups by leading institutions, i.e. GVFL, Gujarat Angel Investors Network, Ahmedabad Angel Investors, etc. Additionally student innovation fund of Rs. 200 crore has been earmarked. Government of Gujarat has created 'GVFL Start Up Fund' of Rs. 250 crore towards promoting startup ecosystem along with GVFL Ltd.

आयोजन

राज्य में स्टार्ट अप स्टेक होल्डरों को नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन सहित अनेक आयोजन किए जाते हैं।

प्रभाव

- विविध क्षेत्रों, जैसे – स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि में 45 से अधिक उद्यमों को परिरक्षित किया गया है।
- गुजरात सरकार की स्टार्ट अप नीति के अन्तर्गत 31 इन्क्यूबेटर संस्थानों तथा 101 स्टार्ट अप परियोजनाओं का सहायता के लिए चयन किया गया है।
- स्टार्ट अप/नवाचार स्कीम के अन्तर्गत 52 नवाचार परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है तथा सम्भावित सहायता के लिए 125 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

Events

A number of events, including Vibrant Gujarat Start Up Summit, are organized in the state to provide a networking platform to start up stakeholders.

Impact

- Over 45 ventures have been incubated in diverse domains such as health, energy etc.
- 31 incubator institutions and 101 Start Up projects have been selected for assistance under the Start Up Policy of Government of Gujarat.
- 52 innovative projects are being supported and 125 projects have been identified for potential support under the Start Up/Innovation Scheme.

ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार

e – National Agriculture Market

स्कीम का सार : ई-एनएएम

ई–राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई–एनएएम) एक पेन–इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं का एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार के निर्माण के लिए मौजूदा एपीएमसी मण्डियों को मंच उपलब्ध कराता है। ई–एनएएम पोर्टल एपीएमसी से सम्बन्धित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। इसमें वस्तु–आवक व कीमतें, क्रय और विक्रय का मोल, अन्य सेवाओं में मोल की प्रतिक्रिया सम्मिलित हैं।

पुरस्कृत मण्डी - सोलन, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश

समूह–1 (पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य)

पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश की भिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी स्थितियाँ कृषि और बागवानी फसलों, ख़ासकर बेमौसमी सब्ज़ियों व फलों की भिन्न पैदावार के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा उसकी राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), सोलन ई–एनएएम शुरू करने के लिए बाज़ार के रूप में इस विश्वास से चुनी गई कि इसका इस क्षेत्र की अर्थ–व्यवस्था और कृषि समुदाय दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अपनाया गया दृष्टिकोण

ई–एनएएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एपीएमसी, सोलन द्वारा अनेक उपाय किए गए। इनमें किसानों को अपने उत्पाद मण्डी तक लाए बिना सीधे ख़रीददारों को बेचने की अनुमति देने, एपीएमसी के समान निजी बाज़ारों की स्थापना, कृषि विपणन में संगठित तथा संस्थागत पूंजी के प्रवेश के लिए कानूनी अवरोध हटाने तथा बाज़ार शुल्क और कमीशन प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने जैसी पहल शामिल हैं। ई–एनएएम की प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में एपीएमसी, सोलन के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया मण्डी में सीसीटीवी कैमरों, डिस्प्ले बोर्डों, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, मोबाइल वैन, सफाई और छँटाई और पैकिंग की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मण्डी में किसान भवन, कैंटीन, पानी, शौचालय और पार्किंग आदि जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गईं।

जागरुकता बढ़ाना

89 जागरुकता शिविर आयोजित किए गए जिनमें 7,120 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। जागरुकता शिविर ई–एनएएम प्रणाली तथा इसके लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किए गए। एपीएमसी सोलन ने ई–एनएएम के विषय में जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग, साईन बोर्ड और बैनर लगाए। प्रचार के लिए अन्य माध्यम प्रयुक्त किए गए जिनमें दैनिक समाचार पत्र, रेडियो, जिंगल्स और पैम्पलेट्स आदि शामिल हैं। समय–समय पर दूरदर्शन चैनल पर सीधी वार्ता–कार्यक्रम प्रसारित किए गए। ई–एनएएम के सम्बन्ध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए समूहों में ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी

Brief of the Scheme: e-NAM

e-National Agriculture Market (e-NAM) is a pan-India electronic trading portal which provides a platform to the existing APMC Mandis for creating unified national market for agricultural commodities. The e-NAM Portal provides a single window service for all APMC related information and services. This includes commodity arrivals & prices, buy & sell trade offers, provision to respond to trade offers, among other services.

Awarded Mandi - Solan, District Solan, Himachal Pradesh

Group-1 (NE and Hill States)

Background

Diverse agro climatic conditions of Himachal Pradesh are extremely suitable for growing different types of agricultural and horticultural crops particularly off seasonal vegetables and fruits. Agriculture is the main occupation of people in the district and has an important role in the economy of the State. Agricultural Produce Market Committee (APMC) Solan was selected as one of the markets to roll out e-NAM with the belief that it would positively influence both economy and farming community of the region.

Approach Adopted

For effective implementation of e-NAM, several steps were undertaken by APMC Solan. These include initiatives such as allowing farmers to directly sell their produce to buyers without bringing it to Mandi, establishment of private markets receiving at par treatment as APMCs, removal of legal barriers for entry of organized and modern capital and investments into agricultural marketing and rationalization of market fee and commission charges.

In order to ensure effective rollout of e-NAM, training programme, for the officers of APMC Solan, was organized under the chairpersonship of Additional Chief Secretary (Agriculture).

CCTV cameras, display boards, electronic balances, soil testing lab, mobile van, cleaning and sorting facility, packing facilities were created in the Mandi. Amenities such as Kisan Bhawan, canteen, water, toilets, parking, etc. were also provided in the Mandi.

Awareness Generation

89 awareness camps were organized which garnered participation of 7,120 participants. Awareness campaigns were undertaken to popularize the e-NAM system and its benefits. APMC Solan displayed hoardings, signboards and banners on different public places to create awareness about e-NAM. Other channels used for propagation included daily newspapers, radio, jingles, pamphlets, etc. Live chat shows were also broadcast on DD channel from time

आयोजित किए गए। अधिसूचित क्षेत्रों में जिला व ब्लॉक स्तर के कृषक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों से सन्देशों तथा व्हॉट्सएप्प के ज़रिये सम्पर्क किया गया।

जागरूकता बढ़ाना

प्रभाव

इस परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- ई–एनएएम प्लेटफॉर्म पर डीपीआर में प्रस्तावित वस्तुओं के 50% अर्थात् 3 उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार किया जाता है
- एपीएमसी ने ई–एनएएम के अन्तर्गत 196 व्यापारियों, 90 कमीशन एजेंटों तथा 3,843 उत्पादकों को पंजीकृत किया है
- पंजीकृत व्यापारियों (196) के 70% ने ई–एनएएम प्लेटफॉर्म के व्यापार में सहभागिता की है
- ई–एनएएम प्लेटफॉर्म पर कुल 4.09 करोड़ रु. का कारोबार हुआ है

to time. Village level training programme was organized in clusters to create awareness about e-NAM. District level and block level farmer awareness programmes were organized in notified areas. Farmers were contacted through messages and WhatsApp.

Awareness Generation

Impact

The key outcomes of the initiative are highlighted below:

- 3 commodities, 50% of the commodities proposed in DPR, are traded on e-NAM platform
- APMC has registered 196 traders, 90 commission agents and 3,843 producers under e-NAM
- 70% of the registered traders (196) have participated in trade on e-NAM platform
- Total value traded on e-NAM platform is Rs. 4.09 crore

पुरस्कृत मण्डी - निज़ामाबाद, जिला-निज़ामाबाद, तेलंगाना

समूह–3 (अन्य राज्य)

पृष्ठभूमि

कृषि व्यापार की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, निज़ामाबाद ने कृषि विपणन विभाग के सक्रिय सहयोग से कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), निज़ामाबाद ने तीन स्तरीय सुधार कार्य योजना के ज़रिये ई–एनएएम कार्यान्वयन की संकल्पना की है।

अपनाया गया दृष्टिकोण

मण्डी में तराजू का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण, बेहतर मूल्य के लिए सफाई और ग्रेडिंग प्रणालियों का कार्य किया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीनों को प्वाइण्ट ऑफ़ सेल (पीओएस) मशीन के साथ एकीकृत किया गया। बाज़ार परिसर के भीतर परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं तथा दैनिक आधार पर बाज़ार प्राधिकारियों द्वारा ग्रेडिंग किया गया। बैठक कक्ष, विश्राम गृह, कैण्टीन आदि सुविधाएँ भी तैयार की गईं।

सीधी खरीद केंद्र (डीपीसी) प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया ताकि व्यापार को कमीशन एजेण्ट के बिना सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके तथा डीपीसी प्लेटफॉर्म पर किसान हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। हेल्प डेस्क में उप तहसीलदार, कृषि अधिकारी और एएमसी पर्यवेक्षक होते हैं। मानदण्डों के अनुसार, बाज़ार शुल्क विनियमित किया गया है तथा ई–बिक्री बिल तैयार करने के लिए ई–टकपत्ती शुरू की गई।

किसानों के सेवाओं के लिए की गई कटौतियों से एपीएमसी की वर्धित जवाबदेही तथा पारदर्शिता स्थापित हुई। मौके पर भुगतान की व्यवस्था की गई तथा किसानों की कटौतियों में कमी आई। इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड लगाए गए जिसमें वस्तुओं की विभिन्न बाज़ार दरों तथा विजेता बोली के ब्यौरे दर्शाए गए। किसानों के लिए एसएमएस अलर्ट की सुविधा विकसित की गई ताकि व्यापार संचालन के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

किसानों को उपलब्ध सुविधाएं

Awarded Mandi - Nizamabad, District Nizamabad, Telangana

Group- 3 (Other States)

Background

With the objective of putting an end to archetype system of agricultural trading, the District Administration, Nizamabad with active collaboration of Agriculture Marketing department conceptualized implementation of e-NAM through a three phased reforms action plan in Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) Nizamabad.

Approach Adopted

Complete automation of weighing, cleaning and grading systems for better price realization was done at the Mandi. Electronic weighing machines were integrated to Point of Sale (POS) machines. Assaying Labs were setup within the market yard and grading was done by market authorities on a day to day basis. Amenities such as meeting halls, rest houses, canteen, etc. were also created.

A Direct Purchase Centre (DPC) platform was set up to facilitate trading without a commission agent, and a farmer's help desk was provisioned on DPC platform. The help desk consisted of a Deputy Tahsildar, Agricultural officer and AMC supervisor. Market fee has been regulated as per the norms and e-Takpatti was introduced for generation of e-Sale bill.

Increased accountability of APMC and enhanced transparency in the deductions made for services to the farmers was established. The arrangement of spot payments and reduced deductions to farmers was made. Electronic display boards were installed which displayed various market rates of commodities and winners' transaction details. Facility of SMS alerts to farmers was developed to ensure transparency at every stage of trade operation.

Facilities provided to farmers

विक्रेताओं को वित्त पोषण किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने व माल गोदाम में उनके उत्पाद को रखने की सुविधा स्थापित की गई। किसानों और ख़रीददारों को तुरन्त भुगतान हेतु बैंक लिकेंज स्थापित किए गए।

जागरुकता बढ़ाना

सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा बाज़ार वार्ता के ज़रिये जागरुकता बढ़ाई गई। एफएम रेडियो तथा स्थानीय टीवी चैनलों के ज़रिये किसानों को नियमित आधार पर प्रेरित किया गया। ई–एनएएम को प्रोत्साहित करने के लिए पैम्पलैट्स, प्रिण्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्राम सभाओं आदि का भी उपयोग किया गया। खेत दौरे तथा समूह वार्ता के ज़रिये किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रभाव

इस पहल के प्रमुख परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- डीपीआर में प्रस्तावित शत–प्रतिशत उत्पाद अर्थात् 5 वस्तुाओं का ई–एनएएम प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया जाता है
- ई–एनएएम प्लेटफॉर्म पर 103 व्यापारियों ने व्यापार में सहभागिता की
- ई–एनएएम प्लेटफॉर्म पर 77 करोड़ रु. का कुल कारोबार किया गया

Facility for financing purchasers and providing interest free loans to farmers, for parking their produce in warehouses, was also put in place. Bank linkage for instant payments to farmers and purchasers was established.

Awareness Generation

Awareness was generated by means of market talk by concerned authorities. Farmers were motivated through FM radio and local TV channels on a regular basis. Pamphlets, print, electronic media, gram sabhas etc. were also used to promote e-NAM. Training of farmers was conducted through farm visits and group communication.

Impact

The key outcomes of the initiative are highlighted below:

- 5 commodities, 100% of the commodities proposed in DPR, are traded on e-NAM platform
- 103 traders have participated in trade on e-NAM platform
- Total value traded on e-NAM platform is Rs. 77 crore

नवाचार

एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए नवाचार अत्यावश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए नवाचार की खोज निरन्तर हो, इसके लिए उत्साह वर्धक वातावरण बनाने तथा विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और नवाचारी कार्य को मान्यता देना आवश्यक है।

Innovation

Innovation is imperative to build a better nation, a better world. To ensure that the quest for innovation continues, it is essential to create an encouraging environment and recognize the extraordinary and innovative work done by various Government organizations.

पुरस्कृत संगठन - जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

पहल – ''नकदी रहित गांव पलनार''

पृष्ठभूमि

पलनार गांव छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण बस्तर के कुबाकोंडा तहसील में अवस्थित है। यह गांव ब्लॉक मुख्याालय कुबाकोंडा (15 किमी.) तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) टाउनशिप से हर मौसम में उपयुक्त अच्छे सड़क सम्पर्क से जुड़ा हुआ है। इस पहल से पूर्व, पलनार में कोई बैंक एटीएम नहीं था तथा इंटरनेट की उपलब्धता भी नहीं थी। पलनार के निवासियों और इस क्षेत्र में तैनात सुरक्षा कर्मियों को एटीएम से धन निकासी के लिए 10 किमी. से अधिक तथा बैंक खाता खोलने के लिए दंतेवाड़ा तक 34 किमी. की यात्रा करनी पड़ती थी। विमुद्रीकरण होने से डिजिटल वित्तीय साक्षरता (डीएफएल) की संगतता में वृद्धि हुई तथा जिला प्रशासन ने नकदी रहित लेन–देन प्रोत्साहित करने के लिए पलनार को मॉडल के रूप में चुना।

अपनाया गया दृष्टिकोण

इस पहल के अन्तर्गत, जिला प्रशासन ने बहुविध प्रयास किए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जिला परिषद (सीईओ–जेडपी), दंतेवाड़ा ने एमएनआरईजीएस और सभी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए नकदी रहित भुगतान विधि के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया।

प्रौद्योगिकी सक्षमता

जिला प्रशासन ने पलनार में वाई–फाई हॉटस्पॉट क्षेत्र की स्थापना करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को नियोजित किया। दिसम्बर, 2016 में कनेक्टिविटी स्थापित की गई तथा पलनार के सम्पूर्ण बाज़ार परिसर को निःशुल्क इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई। उपलब्धर अवसंरचना की प्रकृति पर विचार करते हुए परम्परागत पीओएस मशीन के बजाय इजीटैप्स लगाए गए। रुपे कार्ड, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) डिजिधन, यूपीआई (भीम) आदि के माध्यम से दूरस्थ भुगतान के लिए माइक्रो एटीएम लगाए गए।

प्रत्यक्ष सहायता

क्षेत्र के बैंकों तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग का लाभ उठाते हुए जिला प्रशासन ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक जन–धन खाता धारक को रुपे कार्ड प्राप्त हो तथा उनका आधार नम्बर भी जोड़ा गया हो। विशेष शिविरों का आयोजन करके साप्ताहिक बाज़ार के दौरान जिला प्रशासन ने खाता धारकों को रुपे कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया। फील्ड स्टाफ ने ऐसे खाता धारकों, जिनके आधार नम्बर जोड़े नहीं गए थे, से एनओसी तथा आधार सम्बन्धी ब्यौरे लिए। टीम तथा बैंक अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को इजीटैप्स उपकरणों के संचालन के लिए गहन प्रशिक्षण दिया गया।

Awarded Organization - District Administration, Dantewada, Chhattisgarh

Initiative - "Cashless Village Palnar"

Background

Palnar is a village located in Kuakonda Tehsil of Dakshin Bastar Dantewada district in Chhattisgarh. It is well connected with a decent all weather road to the block head quarter Kuwakonda (15 km) and to National Mineral Development Corporation (NMDC) township. Prior to this initiative Palnar had no banks/ATMs and there was no internet accessibility. Residents of Palnar village as well as security personnel posted in the area had to travel more than 10 km in order to withdraw money from ATM and about 34 km to Dantewada for opening a bank account. With the onset of demonetization, relevance of Digital Financial Literacy (DFL) increased many folds and district administration chose Palnar as a model for promoting cashless transactions.

Approach Adopted

Under this initiative multiple efforts were taken by district administration. An order was issued by Chief Executive Officer – Zilla Parishad (CEO-ZP), Dantewada for implementation of cashless payment mode for MNREGS and all social security schemes.

Technology Enablement

District Administration (DA) engaged BSNL for establishing a Wi-Fi hotspot zone at Palnar. The connectivity was established in December 2016, and the entire shopping area of Palnar was provided with free Internet Service. Ezetaps were installed instead of conventional POS machines considering the kind of infrastructure available. Micro ATMs were established for remote payments through RuPay card, Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), Digi Dhan, UPI (BHIM), etc.

Handholding Support

Leveraging support from banks and public representatives of the area, DA made efforts to ensure that every Jandhan account holder received RuPay cards, and that Aadhar seeding is done. By organizing special camps during weekly markets DA ensured distribution of RuPay cards to the account holders. NOCs and Aadhar details were obtained from un-seeded account holders by field staff. Shop keepers were extensively trained by teams and bank officials on handling the Ezetaps devices.

जागरुकता बढ़ाना

डिजिटल लेन–देन की जरूरत और लाभों के बारे में जन प्रतिनिधियों, दुकानदारों तथा पलनार के जन सामान्य को समझाने के लिए नियमित बैठकें की गईं। जन प्रतिनिधियों ने हाट बाज़ार के दौरान बैठकें करके आस–पास के ग्रामीणों को समझाने की ज़िम्मेदारी ली। जन जागृति के लिए स्थानीय श्रव्य और दृश्य अभियान तथा नुक्कड़ नाटक तैयार किए गए। स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजिटल बैंड, टोपी और टी–शर्ट का उपयोग करते हुए गांवों में डिजिटल आर्मी तैयार की गई। डिजिटल दूतों ने डिजिटलीकरण का सन्देश प्रसारित किया तथा नकदी रहित लेन–देन के सम्बन्ध में जागरुकता को प्रोत्साहित किया।

जागरूकता बढ़ाना

प्रभाव

इस परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- यह पहल ग्रामीणों के सशक्तीकरण तथा डिजिटल लेन–देन हेतु विश्वास निर्माण करने में सफल रही
- गांवों में डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई तथा समुदाय नकदी रहित लेन–देन की ओर अग्रसर हुआ
- नकदी रहित लेन–देन को सामुदायिक विवाहों, परम्परागत लोक नृत्य उत्सवों, अंतःग्राम खेल टूर्नामेण्ट्स आदि का भाग बनाया जा रहा है
- 1.22 लाख रु. की राशि के 1,062 नकदी रहित लेन–देन किए गए।

Awareness Generation

Meetings were conducted regularly to convince public representatives, shop owners and general public of Palnar about the needs and benefits of digital transactions. Public representatives undertook the responsibility of convincing surrounding villagers by conducting meetings during hot bazars. Localized audio and video campaigns and Nukkad Nataks were designed for public awareness. A Digital Army was created within the villages using digital band, caps and T-shirts to attract local people. Digital Doots spread the message of digitization and created awareness about cashless transactions.

Awareness Generation

Impact

The key outcomes of the project are highlighted below:

- The initiative has been successful in empowering villagers and in building confidence for digital transactions.
- Digital literacy in the village has increased and the community has moved towards making cashless transactions.
- Cashless transactions are being made as part of communal marriages, traditional folk dance festivals, inter village sports tournament, etc.
- 1,062 cashless transactions amounting to Rs. 1.22 lakh have been carried out.

पुरस्कृत संगठन - जिला प्रशासन, डूंगरपुर, राजस्थान

पहल – ''सौर ऊर्जा लैम्प परियोजना (एसओयूएल)''

पृष्ठभूमि

डूंगरपुर, राजस्थान के गांवों को सस्ता और टिकाऊ सौर ऊर्जा साधन उपलब्ध कराने के लिए आईआईटी, बम्बई के तत्वावधान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी) तथा जिला प्रशासन ने सौर ऊर्जा लैम्प परियोजना (एसओयूएल) की पहल की थी। पहाड़ी भू–भाग और छितराई बस्तियों के कारण इस क्षेत्र में बिजली पहुँचाने की लागत बहुत अधिक है। इस पहल का फ़ोकस किफ़ायती मूल्य पर हर घर को हरित व पर्यावरण अनुकूल प्रकाश साधन उपलब्ध कराने पर है ताकि स्कूल जाने वाले बच्चे निर्बाध रूप से अध्ययन कर सकें और क्षेत्र की महिलाएँ भी इस क्रियाविधि से आय कर सकें और अपनी आजीविका बढ़ा सकें।

अपनाया गया दृष्टिकोण

डूंगरपुर जिले में प्रबन्धक, एसेम्बलर्स, वितरक और लैम्पों की मरम्मत व रख–रखाव के लिए सेवा प्रदाता जैसे विभिन्न रूपों में चार स्व–सहायता समूह स्तरीय फेडरेशन (सीएलएफ) नियुक्त किए गए हैं। जिला प्रशासन ने उनकी सहायता के लिए स्टेक होल्डरों व प्रत्यक्ष सहायता प्रदाताओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रशिक्षण

आईआईटी, बम्बई ने सीएलएफ की 150 महिलाओं को 10 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया।

- सौर लैम्पों को जोड़ने के लिए महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया

Awarded Organization - District Administration, Dungarpur, Rajasthan

Initiative -"Solar Urja Lamps Project (SoUL)"

Background

Solar Urja Lamps (SoUL) project was initiated under the aegis of IIT Bombay, Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (RGAVP) and District Administration, to provide an economic and sustainable solar lighting solution to the villagers of Dungarpur, Rajasthan. Due to hilly terrain and scattered habitation, the cost of electricity transmission is very high in this region. The initiative focuses on providing green and environment friendly lighting solution to each household at a reasonable price, so that school going children can study in uninterrupted manner, and women in the area can also earn from the process and enhance their livelihood.

Approach Adopted

4 Self-Help Group Cluster Level Federations (CLFs) in Dungarpur district were engaged in different capacities such as managers, assemblers, distributors and service providers for repair and maintenance of the lamps. District administration played a crucial role of bringing together all stakeholders and providing hand holding support to them.

Training

IIT Bombay provided a 10 day training to 150 women of the CLFs.

- Technical training was provided to the women for assembling of the solar lamps.

- लैम्पों के वितरण के लिए भी वितरण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। इसमें उपकरणों की मार्केटिंग और प्रचार शामिल हैं
- मरम्मत और रख–रखाव का प्रशिक्षण भी दिया गया क्योंकि लैम्पों का वारण्टी पीरियड 6 माह का है
- कुछ चुनी हुई महिलाओं को अपनी स्वयं की दुकान/घरों में मरम्मत कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। महिलाओं ने 5 अन्य सौर दुकानें स्थापित कीं और 19 सौर सहेलियों को ख़रीद सेवा और अन्य सौर उत्पादों को बेचने के बाद सौर उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया

वित्त पोषण

आइडिया सेल्यूलर ने आईआईटी, बम्बई को वित्तीय सहायता दी। प्रत्येक सौर लैम्प का मूल्य 550 रुपये है जिसमें 350 रुपये आइडिया सेल्यूलर द्वारा दिए जाते हैं। उपभोक्ता के लिए प्रति लैम्प 200 रुपये की कीमत है जिसमें से 55 रुपये आईआईटी, बम्बई को दिए जाते हैं और 65 रुपये सीएलएफ के संचालन की लागत है। इस प्रकार, सीएलएफ हर लैम्प पर 80 रुपये कमाता है।

वितरण कार्य-कलाप

- चरण–। : 3 ब्लॉक, जहाँ सीएलएफ की ठोस उपस्थिति थी, वे चुने गए और 180 गांवों में लैम्प बांटे गए। महिलाएँ 2–3 दिन पहले लक्षित गांव में पहुँच गईं और ग्रामीणों को पैम्पलेट्स और ध्वनि–प्रचार का उपयोग करते हुए सौर लैम्पों के लाभों के बारे में शिक्षित किया। महिलाओं ने टैम्पों/छोटे ट्रकों को किराये पर लेकर वास्तविक वितरण और गंतव्य पर आपूर्ति की।
- चरण–।। : वितरण को जिले के अन्य ब्लॉकों तक बढ़ाया गया और यह स्कूली स्तर पर भी किया गया जिसमें वितरक स्कूलों में गए और प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों को सौर लैम्पों के लाभों के विषय में बताया गया।

जागरुकता बढ़ाना

जिले भर में स्कूल और घर – दोनों स्तरों पर अभियान चलाया गया। वितरकों ने इस परियोजना के बारे में प्रोत्साहन व जागरुकता बढ़ाने के लिए ग्राम संगठनों (वीओ) की बैठकों में भाग लिया। वितरण से कुछ दिन पहले वितरक प्रचार के लिए स्कूलों में गए। विभिन्न गांवों में प्रचार के लिए ध्वनि–प्रचार व पैम्पलैट्स की कुछ अन्य तकनीकें काम में ली गईं।

- Distribution training was also provided for distributing the lamps. This included training on marketing and advertisement tools
- Repair and Maintenance training was also given as the lamps have a warranty period of 6 months.
- Some selected women were trained to work in their own shops/house for repairing. 5 Solar shops were established by women and 19 Solar Sahelis were trained as solar entrepreneurs, for after sales service and sale of other solar products.

Funding

Idea Cellular provided financial support to IIT Bombay. Price of each solar lamp is Rs. 550, of which Rs. 350 is subsidy provided by Idea Cellular. For consumer the price per lamp is Rs. 200, of which Rs. 55 is given to IIT Bombay and Rs. 65 is the cost of operation for CLF. Thus, CLF earns a profit of Rs. 80 per lamp.

Distribution Activities

- Phase I: 3 blocks where CLF had a strong presence were selected and the lamps were distributed in 180 villages. The women reached to the targeted village 2-3 days in advance and educated the villagers about the benefits of the solar lamps by using pamphlets and sound campaigns. The actual distribution was done by hiring of tempo/ mini-trucks by the women and providing delivery at the destination
- Phase II: Distribution was expanded to cover other blocks of the district and was also done at the school level, wherein the distributors visited schools and convinced the principal, teachers and students about the benefits of the solar lamps.

Awareness Generation

Campaigning was done across the district at both, school and household, levels. Distributors participated in meetings of Village Organizations (VOs) for promoting and generating awareness about the project. Few days prior to distribution, distributors visited schools for promotion. Sound campaigning, pamphlets were some of the other techniques used for promotion across various villages.

प्रभाव

परियोजना के मुख्य परिणामों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है –

- 4 महीनों की अवधि में 40,000 सौर लैम्प जोड़े, बेचे और अनुरक्षित किए गए। समूचा समुदाय लाभान्वित हुआ और अध्ययन, भोजन पकाने, दूध दुहने, खेत में जाने और सामाजिक सभाओं आदि में लैम्पों का प्रयोग कर रहे हैं
- परियोजना के भाग के रूप में नियोजित 83 जनजातीय महिलाएँ अब हर माह 5,000–6,000 रुपये कमाने योग्य हैं
- 32 लाख रुपयों के लाभ के साथ 80 लाख रुपयों का राजस्व अर्जित किया जा रहा है
- एसओयूएल परियोजना की सफलता के आधार पर भारत सरकार नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), ने 70,00,000 छात्रों को सौर लैम्प उपलब्ध कराने के लिए परियोजना का वित्तपोषण किया है
- एसओयूएल परियोजना अब डीयूआरजीए (डूंगरपुर रिन्युएल जनेरेटिंग एसोसिएशन) नामक सोलर पैनल प्रॉडक्शन हाऊस के माध्यम से डूंगरपुर में नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रही है। भूमि पूजन 26 जनवरी, 2017 को किया गया।

Impact

The key outcomes of the project are highlighted below:

- 40,000 Solar lamps were assembled, sold and maintained, over a period of 4 months. The entire community is benefited and is using lamps for study, cooking, milking, going to field, social gatherings etc.
- 83 tribal women, engaged as part of the project, are now able to earn Rs. 5000-6000 per month.
- Revenue of Rs. 80 Lakh is being generated with a profit of Rs. 32 lakh.
- Based on the success of SoUL project, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), GoI has funded project to provide solar lamps to 70,00,000 students.
- SoUL project is now moving towards a new height in Dungarpur through solar panel production house named DURGA (Dungarpur Renewable Generating Association). The Bhoomi Poojan was done on 26th Jan 2017.